Mobility Parking Scheme (MPS)

Individual and Temporary Permits - Conditions of use and Parking concessions

आपके परमिट का प्रदर्शन

RTA द्वारा सितंबर 2010 से जारी किये जाने वाले विकलांगता पार्किंग परमिट के दो हिस्से होंगेः एक ऑस्ट्रेलियन असमर्थता (डिसेबलिटी) पार्किंग परमिट एवम् एक मोबिलिटी पार्किंग योजना परमिट। ऑस्ट्रेलियन असमर्थता (डिसेबलिटी) पार्किंग परमिट को मान्य बनाने के लिये, प्लास्टिक के खाने (प्लास्टिक स्लीव) के भीतर यह मोबिलिटी पार्किंग परमिट डालना आवश्यक है।

इस परमिट को वाहन की खिड़की पर लगाने के लिये शिष्टाचार के तौर पर, RTA एक सक्शन कप (चिपकने वाली वस्तु) दे सकता है। आपको इसे ही काम में लेना जरूरी नहीं है, इस काम के लिये आप कोई और ऐसी चीज या तरीका अपना सकते हैं जिससे परमिट में दिया गया विवरण नहीं छुपे या चालक को देखने में कठिनाई ना हो।

यदि आप इस सक्शन कप को काम में लेने का निर्णय लेते हैं तो उसके निर्माता द्वारा सलाह दी जाती है कि उसे साफ सुथरे विंडस्क्रीन (सामने वाले कांच) पर लगाया जाय। पौंछने के लिये किसी अल्कोहल युक्त वाइप के उपयोग का परामर्श दिया जाता है क्योंकि खिड़की साफ करने वाले पदार्थों में अवशिष्ट हो सकते हैं।

उपयोग की शर्तें

MPS परमिट निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है - इन शर्तों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लग सकता हैः

a) इस परमिट को केवल तभी प्रदर्शित किया जाना चाहिये जब वाहन को उस व्यक्ति को लाने ले जाने के काम में लिया जा रहा हो जिसके नाम पर ये परमिट जारी किया गया था। यदि वह परमिटधारक वाहन में नहीं है तो उसके दैनिक कामों को करने या उससे मिलने जाते समय इस परमिट को काम में नहीं लिया जा सकता।

b) यह परमिट वाहन की विंडस्क्रीन पर बायीं (यात्री वाली) तरफ अथवा उसी तरफ वाली किसी खिड़की पर इस तरह प्रदर्शित किया जाना चाहिये कि वो स्पष्ट रूप से दिखता रहे। यदि ऐसा करना व्यवहारिक ना हो तो, इसे वाहन में ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिये जहाँ से पूरा परमिट वाहन के बाहर से देखा जा सके। जहाँ 'THIS SIDE UP' अथवा 'Display this side' लिखा हुआ है वो हिस्से बाहर की तरफ रखें। परमिट को वाहन पर ऐसे किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है जिससे वाहन चलते समय, परमिट में दिया गया कोई भी विवरण छुपा हुआ नहीं रहता हो और ना ही उससे चालक को देखने में बाधा आती हो।

c) किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर यह परमिट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

d) यह परमिट मान्यता की अंतिम तिथी, अथवा रद्द किये जाने तक मान्य होता है।

e) मान्यता की अंतिम तिथी निकलने के बाद यह परमिट काम में नहीं लिया जा सकता। इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है और पार्किंग में किसी भी प्रकार की असमर्थता (डिसेबलिटी) छूट के लिये वर्तमान परमिट का प्रदर्शन आवश्यक है।

f) परमिट की मान्यता समाप्त होने, RTA द्वारा रद्द कर दिये जाने अथवा परमिट धारक के अयोग्य हो जाने (किसी प्रकार की ऐसी असमर्थता के न रहने पर जिसके कारण वे इस परमिट के योग्य बने) पर इस परमिट को मोटर रजिस्ट्री कार्यालय को वापस लौटाना आवश्यक है।

g) इस परमिट का पुनर्निर्माण, नकल, विकृतिकरण (defaced), परिवर्तन अथवा विनाश नहीं किया जा सकता।

h) यदि परमिट का पुनर्निर्माण, नकल, विकृतिकरण किया गया अथवा इसमें किसी अन्य तरीके से बदलाव लाया गया या फिर परमिट के एक या अधिक विवरण (जैसे कि परमिट संख्या अथवा काम में लेने की अंतिम तिथी) में बदलाव अथवा उसे अपठनीय किया गया तो यह परमिट मान्य नहीं रहेगा।

i) यदि परमिट का उपयोग किसी अन्य राज्य अथवा टेरिटोरी में किया जाता है तो प्रचलित पार्किंग छूट के अनुसार इसे काम में लिया जा सकता है।

j) अनुचित उपयोग अथवा उपयोग की इन शर्तों में से किसी एक के भी उल्लंघन पर, कोई अधिकृत अधिकारी इस परमिट को जब्त कर सकता है एवम्/अथवा RTA द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है।

k) यह परमिट RTA द्वारा लागू की जा सकने वाली ऐसी अन्य शर्तों के आधीन है।

पार्किंग छूट

MPS परमिट आपको ऐसे स्थानों पर पार्क करने का हकदार बनाता है जहाँ असमर्थ लोगों का प्रतीक चिन्ह बना हुआ होता है। यह परमिट अन्य स्थानों पर पार्किंग में भी छूट दिलवाता हैः

- मीटर्ड, कूपन या टिकट पार्किंग वाले स्थलों पर पार्क करते समय कोई शुल्क लागू नहीं होता।
- जहाँ चिन्ह के माध्यम से पार्किंग की अवधि 30 मिनट से अधिक दर्शायी गयी हो, वहां पर इस परमिट वाला वाहन असीमित समय के लिये खड़ा (पार्क) किया जा सकता है।
- जहाँ चिन्ह के माध्यम से पार्किंग की अवधि 30 मिनट तक की दर्शायी गयी हो, वहां पर इस परमिट वाला वाहन 2 घंटे के लिये खड़ा (पार्क) किया जा सकता है।
- जहाँ चिन्ह के माध्यम से पार्किंग की अवधि 30 मिनट से **कम** दर्शायी गयी हो वहां पर इस परमिट वाला वाहन अधिकतम 30 मिनट के लिये खड़ा (पार्क) किया जा सकता है।
- 'नो पार्किंग' चिन्ह वाले स्थल पर आप 5 मिनट तक अपना वाहन खड़ा (पार्क) कर सकते हैं, यात्रियों अथवा सामनों को लेते या छोड़ते समय चालक का वाहन में अथवा वाहन से 3 मीटर की दूरी के भीतर होना अनिवार्य है।
- पार्किंग के अन्य सभी नियम लागू हैं।

कृपया ध्यान दें: व्यवसायिक कार पार्किंग स्थलों द्वारा अपने शुल्क व भुगतान दरें स्वयं निर्धारित किये जाते हैं।

छूट कब लागू होती है?

जिस व्यक्ति के नाम पर MPS परमिट जारी हुआ है उसे लाते ले जाते समय, वाहन पर इस परमिट को प्रदर्शित करने पर यह पार्किंग छूट लागू होती है।

अमान्य MPS परमिट

यदि MPS परमिट काम में लेने की अंतिम तिथी निकल जाती है, RTA द्वारा उसे रद्द कर दिया जाता है अथवा परमिटधारक की मृत्यु हो जाती है तो वो अमान्य हो जाता है । एक अमान्य MPS परमिट का प्रदर्शन करने के परिणामस्वरूप भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

आपकी चिकित्सीय स्थिति में परिवर्तन

यदि आपकी चिकित्सीय स्थिति में सुधार होता है और आपको MPS परमिट के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती तो, आपको अपना MPS परमिट अपने निकटतम मोटर रजिस्ट्री कार्यालय पर लौटाना आवश्यक है।

हॉटलाइन

MPS के दुरुपयोग की सूचना 1300 884 899 पर फोन करके अथवा Customer_Service_Centre@rta.nsw.gov.au पर ईमेल द्वारा दी जा सकती है।

Translation Warning:

The English language version of these conditions is the sole authoritative version. The translation has been prepared as a courtesy and only the English language version should be relied upon. The English version can be found on the RMS Website.

अनुवाद चेतावनीः

इन शर्तों का अंग्रेजी भाषा में दिया गया विवरण ही एकमात्र आधिकारिक विवरण है। यह अनुवाद शिष्टाचार के नाते तैयार किया गया है और केवल अंग्रेजी भाषा में लिखे विवरण पर ही भरोसा करना चाहिये। अंग्रेजी भाषा में विवरण नीचे दी गई RTA की वैबसाइट पर मिल सकता हैः

http://www.rms.nsw.gov.au/roads/using-roads/mobility-parking/documents-forms.html